<u>न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम 2, अजमेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – विकाससिंह चौधरी , आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई. एस. संख्या 270/2026</u>

1–नीतिश शर्मा पुत्र स्व. केशवकांत शर्मा, उम्र–25 वर्ष, निवासी म.न. 1139/41 बालकिशन भवन, नसीराबाद रोड, बिहारी गंज, अजमेर पुलिस थाना अलवरगेट जिला अजमेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा. ना.सु.सं.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 पुलिस थाना अलवरगेट,
अपराध अंतर्गत धारा 316(4) बी.एन.एस.

उपस्थित

1– श्री बालकिशन सैनी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 13–03–2026</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त नीतिश शर्मा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 6, अजमेर के समक्ष दिनांक 09–3–2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाद सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया गया । इसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई । उक्त जमानत आवेदन पत्र अंतरित किया जाकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे इस प्रकरण मे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण मे समय लगने की संभावना है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी जहां कार्यरत था वहां के मालिक द्वारा अभद्रता किये जाने पर प्रार्थी द्वारा कार्य छोडना चाहने पर अन्य व्यक्ति की व्यवस्था होने तक उसे कार्य करने को कहा एवं इस दौरान सभी संव्यवहार दुकान के मालिक द्वारा ही किये गये थे। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3– जबाब मे अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– उभय पक्षों के तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी विराट ने दिनांक 29–1–26 को पुलिस थाना अलवरगेट पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि नीतिश उसके पास तीन वर्षो से काम

Authenticated Document

करता है। वही उसके समस्त खातो को संचालित करता है। उसे एक माह पूर्व से उसके खाते से अत्यधिक मात्रा मे ऑनलाईन ट्रांसफर की जानकारी होने पर उसने 5-1-26 को नीतिश को उसके खाते मे पांच लाख रूपये जमा करवाने हेतु दिये, जिसे नितेश ने स्वयं के खाते मे जमा करवाकर खुर्दबुर्द कर दिया है। उसे आशंका है कि नीतेश ने उसके खातो से लाखों रूपये की धोखाधडी की है। आदि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया ।

5- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व पूर्व मे कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व नहीं रहा हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 30-1-2026 से निरन्तर पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा मे है। अभियुक्त से अब अनुसंधान या बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण मे समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण मे अनुसंधान ऐजेन्सी ने चालानी आदेश प्राप्त कर लिये है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त नीतिश शर्मा पुत्र स्व. केशवकांत शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का स्वयं का मुचलका तथा पचास-पचास हजार रूपये की दो की जमानतें प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी किसी अन्य प्रकरण मे वांछित न हो तो प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 पुलिस थाना अलवरगेट जिला अजमेर में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।आदेश की प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP[CRIMINAL] No.4/2021 IN RE POLICY STRATEGE FOR GRANT OF BAIL मे पारित आदेश दिनांक 31-1-2023 की पालना मे मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये इ-मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

7- आदेश आज दिनांक 13-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

RAM AVTAR GOYAL
Digitally signed by RAM AVTAR GOYAL
Date: 2026.03.13 14:12:42 +0530

Authenticated Document